दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

('विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के अंतर्गत संस्थापित, संसद का अधिनियम)

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित

केंद्रीय कार्यालय, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली-110001
फोन : 23384781, फैक्स : 23387267, ई मेल : **dslsa-phc@nic.in**
वेबसाइट **www.dslsa.org**, 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन नं. 1516

विज्ञापन नं. दिनांक:

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : विज्ञापन की तिथि से 30 दिनों के अंदर साधारण डाक द्वारा सायं 5.00 बजे तक

विज्ञापन

माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार यह प्राधिकरण दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2011, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली सरकार जो कि 2 फरवरी 2012 में दिल्ली सरकार के गजट में अधिसूचित हुई थी, जो कि अब दिल्ली गजट अधिसूचना नं. फा.नं.11/35/2010/एच.पी.-2/9544-57/459 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा निरस्त किए जाने पश्चात जो कि अब दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2015 के नाम से जानी जाती है, के अंतर्गत एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास हेतु निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करती है।

रिक्तियों की संख्या : 12

पद : अवर श्रेणी लिपिक

वेतनमान : रु. 19900 से 63200 सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल-2 के अनुसार

नोट: यह भर्ती केवल केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में हुए एसिड अटैक पीड़ितों तक ही सीमित है।

इसमें नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

आयु : आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

आरक्षण: उपरोक्त वर्णित पद केवल एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आरक्षित है। एसिड अटैक पीड़ितों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग) उपरोक्त के लिए आवेदन न करें। हालांकि इन पदों के लिए चुनाव एसिड से जलने की प्रतिशत अधिकतम से न्यूनतम के आधार पर होगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता : 10+2 पास अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उच्चतम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उससे अधिक।

योग्यता में छूट : वे अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक (10वीं) अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से पास किया हुआ है, इसके लिए इस शर्त पर आवेदन कर सकते हैं कि चयन होने के 5 वर्ष के अंदर 10+2 अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि वांछनीय योग्यता प्राप्त करने तक चयनित उम्मीदवार को अस्थायी माना जाएगा। उसके नियमित होने की गणना उस दिन से मानी जाएगी जब वह इस प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासनिक विभाग के (आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत) समक्ष अपेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी। कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि उम्मीदवार/कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि तब आरंभ होगी, जिस दिन उसकी न्यूनतम अपेक्षित योग्यता (10+2 अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उसके सर्विस रिकॉर्ड में शामिल होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

चयन की प्रक्रिया : दस्तावेजों की जांच के पश्चात यदि उम्मीदवार उपयुक्त पाया जाता है/उपरोक्त वर्णित निश्चित की गई न्यूनतम योग्यताएं जैसे कि योग्यता और अनुभव एवं अन्य शर्तें पूर्ण करता है तो उसे साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची इस प्राधिकरण की आधिकारिक (Official) वेबसाइट **www.dslsa.org** पर अपलोड कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों का अंतिम चयन उपयुक्त शर्तों को पूर्ण करने और इंटरव्यू में प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित होगा।

ज्ञात रहे कि केवल प्रार्थना पत्र भेजना ही आवेदक को दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (दि.रा.सेवा.प्रा.) में नियमित/तदर्थ सेवाओं/नौकरी के लिए दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अंतिम चयन होने के पश्चात आवेदक (जिन्होंने पहले से ही 10+2 अथवा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पास किया हुआ है) एक वर्ष के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रहेगा जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

सभी चयनित उम्मीदवारों (चाहे वे दसवीं पास हैं अथवा 10+2) को एक वर्ष के भीतर कंप्यूटर से न्यूनतम 30 की स्पीड में इंगलिश टाईपिंग टेस्ट पास करना होगा।

चयनित आवेदक को केंद्रीय कार्यालय, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथवा दिल्ली के विभिन्न जिला न्यायालय परिसरों में स्थित किसी भी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में नियुक्त किया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र के लिए प्रपत्र

(इस प्राधिकरण की वेबसाइट **www.dslsa.org** पर भी उपलब्ध है)
(आवेदक के द्वारा स्वयं अपनी लिखावट से भरा जाएगा।)

क्रम सं.	विवरण	
1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म की तिथि	तिथि/माह/वर्ष ..../............./.............
4.	आयु (विज्ञापन में निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के दिन तक)	वर्ष/मास/दिवस ..../............./.............
5.	लिंग	पु./स्त्री
6.	संपर्क करने का नंबर	
7.	पत्र व्यवहार का पता	
8.	स्थायी पता	
9.	नागरिकता	
10.	शैक्षणिक योग्यता	
11.	व्यवसायिक योग्यता, यदि कोई	
12.	वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी)	
13.	विकलांगता का वर्ग एवं प्रतिशत	
14.	एसिड अटैक के द्वारा जलने का प्रतिशत (Percentage of acid burning)	
15.	कार्य अनुभव, यदि कोई है	
16.	क्या किसी सरकारी संस्थान में कार्य करने पर रोक है	
17.	क्या किसी न्यायालय में फौजदारी केस लंबित है, अथवा दोष सिद्ध है?	
18.	अन्य कोई सूचना जो कि आवेदक देना चाहता है	

नोट: सभी संबंधित दस्तावेजों जैसे जन्म की तिथि का प्रमाण पत्र, निजी पहचान प्रमाण पत्र, निवास स्थान का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई है), विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र (यदि कोई है) एवं एसिड से जलने की प्रतिशतता संबंधी प्रमाण पत्र जिसे निर्धारित/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, और कार्य अनुभव संबंधित दस्तावेज (यदि कोई है), इत्यादि की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि (self attested copy) इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

वचन पत्र (Undertaking) आवेदक के द्वारा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... निवासी .... एतद्द्वारा वचन देता/देती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है और उसमें कुछ नहीं छिपाया गया है। मैं समझता/समझती हूं कि किसी भी प्रकार की सूचना जो कि मेरे प्रार्थना पत्र में दी गई है, यदि वह गलत पाई जाती हैं तो इसके परिणामस्वरूप रोजगार प्राप्त होने से पूर्व और उसके पश्चात मैं नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक:
स्थान: दिल्ली/नई दिल्ली

DIP/Shabdarth/0303/17-18

आवेदक के हस्ताक्षर